।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।।

प्रैस–नोट

दिनांकः– 11.01.2019

चोरी के मामलों में 2 आरोपी पुलिस पकड़ में

1. **थाना सेवरः–** दिनांक 30 दिसम्बर 2018 को नगला धौर थाना सेवर निवासी बलराम पुत्र भगवानसिंह जाति जाट व अन्य ने अज्ञात चोरों के विरूद्व गांव सिनपिनी के पास एनएच–21 पर श्री विश्वेन्द्रसिंह केबिनेट मंत्री पर्यटन एवं देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के स्वागत समारोहों के दौरान प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों की जेब से 2 लाख 41 हजार 430 रूपये, ए0टी0एम0 कार्ड व अन्य कागजात चोरी कर ले जाने का एक मामला थाना सेवर पर मु0नं0 544/18 धारा 379 भा0द0सं0 में दर्ज कराया था। श्री मोहनसिंह स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. पंकज पुत्र जीतेन्द्र जाति जैन निवासी तिरूपतनगर थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली** को गिरफतार कर आरोपी से पूछताछ जारी है।
2. **थाना बयानाः–** गांव फरसो थाना बयाना निवासी सुरजीतसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट ने एयरटैल कम्पनी के मोबाईल टॉवर के कर्मचारी गांव अलीपुर थाना लखनपुर निवासी राजेन्द्रसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट वगैराह 2 वाईक सवारों के विरूद्व गांव फरसो में प्रार्थी के खेत पर लगे एयरटैल कम्पनी के बन्द पडे मोबाईल टॉवर से कॉपर वॉयर की केवल को चोरी कर लेजाने का एक मामला कल दिनांक 10 जनवरी 2019 को थाना बयाना पर मु0नं0 38/19 धारा 379 भा0द0सं0 में दर्ज कराया था। श्री शैलेन्द्रसिंह स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. राजेन्द्रसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी अलीपुर थाना लखनपुर** व **2. मनोज पुत्र श्यामसिंह जाति जाट निवासी बछामदी थाना लखनपुर** को गिरफतार कर आरोपियों के कब्जे से करीब 12 किलोग्राम कॉपर वॉयर व मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 32 एसबी 2126 को जप्त कर आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है।

ध्वनि प्रदूषण के मामले का आरोपी पुलिस शिकंजे में

1. **थाना भुसावरः**– थानाधिकारी श्री जीतेन्द्रकुमार स्वामी पु0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान कस्वा भुसावर से ट्रैक्टर चालक **1. धर्मसिंह पुत्र चैनसुख जाति गुर्जर निवासी कारवान थाना भुसावर** को ट्रैक्टर में लाउडस्पीकर लगाकर सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में गाने बजाते हुये पाये जाने पर आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफतार कर स्पीकर, डेक मशीन, मैमारी कार्ड को जप्त कर थाने पर मु0नं0 25/19 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्व किया गया है।

अवैध शराव सहित 6 जनों को धर दबोचा

336 पव्वा देशी व लीटर कच्ची शराब बरामद

जिले में अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 336 पव्वा अवैध देशी शराव के जप्त कर 6 ब्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना सेवरः**– श्री योगेशकुमार हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर उच्चैन तिराया से **1. अमरनाथ पुत्र रामअजोर जाति यादव निवासी गद्दोपुर थाना गोसाईगंज जिला फैजाबाद यू0पी0** को 48 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 36/19 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
2. **थाना बयानाः**– बयाना पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अलग–अलग स्थानों से **1. राजकुमार पुत्र अर्जुन जाति खटीक निवासी बृह्मवाद थाना रुदावल** व **2. लाखनसिंह पुत्र अतरसिंह जाति गुर्जर निवासी थानाडांग थाना गढीबाजना** तथा **3. रामलखन पुत्र खैमचंद जाति कोली निवासी नगला चतरसाल थाना हलैना** को क्रमशः 63, 55, 57 पव्वा (कुल 175 पव्वा) अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 36, 37, 39/19 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।
3. **थाना डीगः**– श्री अजय यादव हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा डीग से **1. विनोद पुत्र देवीसिंह जाति जाटव निवासी कस्वा डीग** को 60 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 30/19 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

4. **थाना उच्चैनः**— श्री गिर्राजसिंह हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर दस मोरा के पास से **1. बबलू उर्फ बाबू पुत्र करनसिंह जाति कोली निवासी पिचूना थाना उच्चैन** को 53 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 24/19 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

20 सटोरिया बन्द हवालात

9355 रूपये बरामद

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर अलग—अलग स्थानों से 20 ब्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 9355 रूपये नकद मय सट्टा उपकरण के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना वैरः**— वैर पुलिस द्वारा अलग—अलग स्थानों से **1. रामचन्द्र उर्फ फौजी पुत्र टीकम जाति माली** व **2. ताराचन्द पुत्र उदयराम जाति कोली निवासियान कस्वा वैर** को क्रमशः 785, 520 रूपये (कुल 1305 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 12, 13/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये है।

2. **थाना कोतवाली भरतपुरः**— श्री सुरेशकुमार स0उ0नि0 द्वारा आनन्दनगर से **1. हरीशचन्द पुत्र गोगाराम जाति जाटव निवासी आनन्दनगर थाना कोतवाली भरतपुर** को 310 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 16/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

3. **थाना उच्चैनः**— उच्चैन पुलिस द्वारा कस्वा उच्चैन से **1. चन्दनसिंह पुत्र खैमसिंह जाति कोली** व **2. मनोज पुत्र कन्हैया जाति कुशवाह निवासियान कस्वा उच्चैन** को क्रमशः 210, 210 रूपये (कुल 420 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 5, 6/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

4. **थाना मथुरागेटः**— श्री सम्पतसिंह स0उ0नि0 द्वारा शास्त्री पार्क के पास से **1. मुकेश पुत्र सुरेशचन्द जाति जाटव निवासी दारूकूटा मौहल्ला थाना मथुरागेट** को 590 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 23/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

5. **थाना सेवरः**– श्री ललितकुमार हैड कानि0 द्वारा कस्वा सेवर से **1. आदित्य पुत्र मनोजकुमार जाति नाई निवासी कस्वा सेवर** को 1050 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 34/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

6. **थाना भुसावरः**– भुसावर पुलिस द्वारा कस्वा भुसावर से **1. अरविन्द पुत्र मेधाराम जाति वैश्य निवासी मैनापुरा थाना भुसावर, 2. स्वरुपसिंह पुत्र मूलचन्द जाति माली, 3. लोकेश पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासियान मैनापुरा थाना भुसावर** को क्रमशः 205, 160, 260 रूपये (कुल 625 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 26, 27, 28/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

7. **थाना लखनपुरः**– श्री विजेन्द्रसिंह हैड कानि0 द्वारा गांव गगवाना से **1. महेश उर्फ पप्पा पुत्र कल्लू जाति हरिजन निवासी कोठैन खुर्द थाना लखनपुर** को 310 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 12/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

8. **थाना अटलबंदः**– अटलबंद पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से **1. शिव पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाटव निवासी बछगॉव थाना मगोर्रा जिला मथुरा उ0प्र0, 2. पिंकी पुत्र कृपाल जाति जाटव निवासी कूम्हां थाना सेवर, 3. पवन पुत्र सुरेश जाति जाटव निवासी नगला तेहरइयां थाना सेवर, 4. नारायण पुत्र धर्मसिंह जाति जाटव निवासी विजयनगर थाना अटलबंद** को क्रमशः 540, 575, 640, 750 रूपये (कुल 2505 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 19, 20, 21 ,22/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

9. **थाना रूपवासः**– श्री वीरेन्द्रसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा रूपवास से **1. योगेश पुत्र हीरालाल जाति जाटव निवासी कस्वा रूपवास** को 420 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 28/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

10. **थाना उधोगनगरः**– उधोगनगर पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से **1. दुलीचंद पुत्र जंगलीराम जाति धीमर निवासी रारह थाना उधोगनगर** व **2. विवेककुमार पुत्र निनुआराम जाति वैश्य निवासी एसटीसी हाऊसिंग बोर्ड कॉलौनी थाना मथुरागेट** को क्रमशः 530, 350 रूपये (कुल 880 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 06, 07/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

11. थाना डीगः– डीग पुलिस द्वारा कस्वा डीग से **1. बनबारी पुत्र जमुनी जाति तेली** व **2. हरदायल पुत्र रामसिंह जाति खटीक निवासियान कस्वा डीग** को क्रमशः 410, 530 रूपये (कुल 940 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 28, 29/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

शराबी कैन्ट्रा चालक पुलिस पकड में

1. थाना रूपवासः– श्री गोविन्द्रसिंह हैड कानि0 द्वारा कस्वा रूपवास से शराव के नशे में कैन्ट्रा चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी कैन्ट्रा चालक **1. विक्रम पुत्र यादराम जाति गुर्जर निवासी कुन्देर थाना उच्चैन** को गिरफतार कर कैन्ट्रा को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 2 जने गिरफ्तार

1. थाना गोपालगढः– श्री रणधीरसिंह हैड कानि0 द्वारा कस्वा गोपालगढ से 1. रामहंस पुत्र नन्नूराम व 2. दयालसिंह पुत्र तुलसीराम जातियान गुर्जर निवासियान कस्वा गोपालगढ को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 4 जनों को किया गिरफ्तार

1. थाना मथुरागेटः– श्री बैनीप्रसाद आरपीएस (प्रशिक्षु) द्वारा चौबुर्जा चौराहा से 1. गुरूमीतसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति लवाणा सिक्ख निवासी मोरीचार बाग थाना मथुरागेट को गिरफ्तार किया गया है।

2. थाना बयानाः– श्री बदनसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा बयाना से 1. लवली पुत्र जगदीश जाति पंजाबी निवासी कस्वा बयाना को गिरफ्तार किया गया है।

3. थाना कोतवाली भरतपुरः– श्री गिरधारीलाल उ0नि0 द्वारा नमक कटरा से 1. कुलदीपसिंह व 2. जसवेन्द्रसिंह पुत्रान आयासिंह जाति लवाणा सिक्ख निवासी नमक कटरा थाना कोतवाली भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।

182 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 182 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में 100 वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी 23 वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, नो पार्किंग आदि के आरोप में 59 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।